Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAMVA RAMGARH

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 29-03-2019 5:51 PM

Fee Receipt No	: 201902424000928	Receipt Date	: 29/03/2019
Name	: Ghansayam ,	Document S. No.	: 201901424001089
Address	: 0 ,Natata ,Jaipur ,JAIPUR		
Document Type	: Lease where rent is fixed and no premium is paid or delivered		
Face Value	: ₹ 48000	Evaluated Value	: ₹ 454212
Ord-Registration Fee	: ₹ 455	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 454	Stamp Duty	: ₹ 2272
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: **₹ 0**
		Other than Cash	: **₹ 3481**
		Total Amount	: **₹ 3481**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 29517745 ₹ 1081 # Stamp N.A. ₹ 2400

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

कार्यालय उप पंजीयक राजस्थान जमवारामगढ़, जिला जयपुर

उप पंजीयक
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
एक हजार रुपये
ONE THOUSAND RUPEES
रु.1000
Rs.1000
सत्यमेव जयते
INDIA
राजस्थान RAJASTHAN
G 602466

।।श्री।।

लीज–डीड (किराया–नामा)

यह लीज–डीड आज दिनांक 29.03.2019 ईस्वी को **घनश्याम पुत्र प्रभात**, आयु लगभग **62** वर्ष, **जाति बलाई, निवासी ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान** की तरफ से लिखा जा रहा हैं, जो कि इस लीज–डीड में प्रथमपक्ष (मालिक) के नाम से सम्बोधित हैं, जिसमें प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के समस्त स्थानापन्न, उत्तराधिकारी, हक वारिसान व नाती गोती सम्बन्धी इत्यादी भी सम्मलित समझे जावेगें ।

लगातार............2

सचिव / अध्यक्ष
नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा, जमवारामगढ़ (जयपुर)

उप पंजीयक
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN G 602467

कार्यालय उप पंजीयक तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान

:: 2 ::

बहक

नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान, ग्राम नटाटा, रजि. नम्बर 218/जयपुर/2009–2010 जरिए सचिव श्री ईश्वरलाल बुनकर पुत्र श्री घनश्याम बुनकर, जाति बलाई, निवासी ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर जिसे इस लीज–डीड में द्वितियपक्ष (किरायेदार) के नाम से सम्बोधित हैं, जिसमें द्वितियपक्ष व द्वितियपक्ष के समस्त स्थानापन्न, उत्तराधिकारी, हक वारिसान व नाती गोती सम्बन्धि इत्यादी भी सम्मलित समझे जावेगें।

..........3

सचिव / अध्यक्ष
नेहरू ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा, जमवारामगढ़ (जयपुर)

जो कि **ग्राम तन नटाटा, पटवार मण्डल नटाटा, तहसील जमवारामगढ,** जिला जयपुर में प्रथमपक्ष की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 0.0600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 124 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में प्रथमपक्ष का हिस्सा 1/4 भाग स्थित हैं। उक्त भूमि प्रथमपक्ष की रिकार्डेड खातेदारी भूमि हैं। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति पर प्रथमपक्ष बिना किसी अन्य के सीर व साझे के निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा हैं। उक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष ने आज से पूर्व किसी अन्य को रहन, विकय, बैचान, हस्तान्तरण या लीज पर दी हुई नही हैं। प्रथमपक्ष को उक्त सम्पत्ति के बारे में प्रत्येक प्रकार से रहन, विकय, हस्तान्तरण, लीज/किराये पर देने का अधिकार बतोर काबिज, खातेदार काश्तकार होने से भली–भांती प्राप्त हैं ।

चूकि प्रथमपक्ष को अपनी उक्त **ग्राम तन नटाटा पटवार मण्डल नटाटा, तहसील** जमवारामगढ **जिला जयपुर** में खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 0.0600 हैक्टेयर में प्रथमपक्ष का हिस्सा 1/4 भाग है सम्पूर्ण को व खसरा नम्बर 124 रकबा 0.1700 हैक्टेयर में प्रथमपक्ष का हिस्सा 1/4 भाग है का हिस्सा 11/25 भाग को (अर्थात कुल क्षैत्रफल लगभग 407.77 वर्गगज भूमि) हैं सम्पूर्ण को लीज पर देने का इच्छुक हैं, तथा द्वितियपक्ष को अपने शैक्षणिक संस्थान में शैक्षणिक उपयोग–उपभोग व शैक्षणिक गतिविधियों हेतु प्रथमपक्ष की उक्त सम्पत्ति को लीज पर लेने का इच्छुक हैं, अतः दौनो पक्षो के मध्य यह लीज–डीड (किराया नामा) निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया जाता हैं ।

.........4

सचिव / अध्यक्ष
नेहरु ज्योति पब्लिक संस्थान
नटाटा, जमवारामगढ़ (जयपुर)

1. यह कि, प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त सम्पत्ति को कुल 10 वर्ष के लिए द्वितियपक्ष को लीज पर दी गई हैं, जिसका कब्जा दुरूस्त हालत में प्रथमपक्ष ने द्वितियपक्ष को सम्हला दिया हैं। इस सम्पत्ति में द्वितियपक्ष अपने शैक्षणिक गतिविधियों हेतु हर प्रकार से उपयोग–उपभोग में ले सकेगां।
2. यह कि, 10 वर्ष की समाप्ति पर द्वितियपक्ष उक्त सम्पतित को खाली करके द्वितियपक्ष को सम्हला देगां ।
3. यह कि, उपरोक्त लीज पर दी हुई सम्पत्ति को 10 वर्ष तक के लिए प्रथमपक्ष ने कुल 2000/–रू. अक्षरे दो हजार रू. प्रतिमाह के हिसाब से द्वितियपक्ष को किराया/लीज पर दी हैं, तथा कब्जा मौके पर प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितियपक्ष को सम्हला दिया हैं। लीज प्रतिफल राशि प्रतिमाह द्वितीयपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष को अदा कर दिया जावेगां, तथा आगे भी किराया/लीज प्रतिफल राशि द्वितियपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष को प्रत्येक माह की 1 तारिख तक अग्रीम रूप से भूगतान कर दिया जावेगां तथा द्वितियपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष से लीज प्रतिफल राशि अदायगी की रसीद प्राप्त कर ली जावेगी, बिना रसीद के रकम अदायगी की उज्रदारी मान्य नही होगी।
4. यह कि, शैक्षणिक गतिविधियों, आई.टी.आई. के संचालन हेतु उपरोक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष ने द्वितियपक्ष को सुपुर्द कर दी हैं, अब भविष्य में द्वितियपक्ष अपनी सुविधानुसार उक्त सम्पत्ति का हर प्रकार से उपयोग–उपभोग कर सकेगां।
5. यह कि, उक्त सम्पत्ति जो कि प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितियपक्ष को शैक्षणिक कार्यो हेतु 10 वर्ष की समयावधि के लिए लीज/किराए पर दी हैं इस बाबत प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितियपक्ष के हक में किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभागो में आवश्यकता होने पर उक्त द्वितियपक्ष के हक में लिखकर देने के लिए जिम्मेदार रहेगी ।

.............5

सचिव/अध्यक्ष

नदाटा, जमवारामगढ़ (जयपुर)

6. यह कि, द्वितियपक्ष ने जिस हालत में उक्त सम्पत्ति को सम्भाला हैं उसी हालत में किराया/लीज अवधि समाप्ति के समय द्वितियपक्ष उपरोक्त सम्पत्ति को प्रथमपक्ष को सुपुर्द कर देगां। 10 वर्ष उपरान्त दौनो पक्षो की रजाबन्दी से किराया/लीज की राशि में उस समय की बढोतरी करके अलग से किरायानामा लीखकर किराये पर ले सकेगां।
7. यह कि, आज से 10 वर्ष तक की समयावधि तक लीज प्रतिफल राशि अदा करते रहने के बावजूद प्रथमपक्ष के द्वारा उक्त सम्पत्ति को खाली करवाने का कोई अधिकार नही होगां।
8. यह कि, इस लीज/किरायानामे के बारे में दौनो ही पक्ष व इनके समस्त वारिसान सगे सम्बन्धि भविष्य के लिए पाबन्द एवं वचनबद्ध रहेगें यदि किसी भी पक्ष के द्वारा उक्त शर्तो का पालन नही किया गया तो एक पक्ष को न्यायालय में जाने का पूर्ण अधिकार होगां।

अतः उक्त शर्तो का प्रथमपक्ष तथा विक्रेता के वारिसान भविष्य में पूर्णतः पालन करेगे किसी भी विवाद की स्थिति मे यह लीज–डीड (किराया–नामा) ही अंतिम रूप से मान्य रहेगा।

अतः यह लीज–डीड (किराया–नामा) दोनो पक्षो ने एक राय होकर अपने स्वस्थ चित्त की अवस्था एवं इन्द्रिय व मस्तिस्क की जाग्रतावस्था में सोच समझ व पढ सुन कर स्टाम्प किता एक किमती रूपया दो हजार व ग्रीन पेपर किता चार

...........6

सचिव / अध्यक्ष
नेहरू ख्याति पब्लिक संस्थान
नटाटा, जमवारामगढ (जयपुर)

पर निम्न साक्षीगणो के समक्ष पढा सुन कर हस्ताक्षर–निशानी कर दिये कि प्रमाण रहे और वक्त जरत काम आवें।इति।

दिनांक 29.03.2019 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष :–

हस्ताक्षर द्वितियपक्ष :–

सचिव / अध्यक्ष
नेहरू ज्योति पब्लिक ...थान
नटाटा, जमवारामगढ़ (जयपुर)

रवि मीणा

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. (रवि कुमार मीना पुत्र श्री जोहरीलाल मीना, जाति मीना, आयु लगभग 23 वर्ष निवासी जिन्दवास, बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपर राजस्थान ।)

2. (रूपचन्द पुत्र श्री हनुमान जाति बलाई, आयु लगभग 32 वर्ष निवासी ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपर राजस्थान ।)

**(Drafted by US As per record
& Direction Given By Executants & Claimant.)**

पुष्पेन्द्र शर्मा
एडवोकेट
राजस्थान उच्च न्यायालय
P_H_ 01426-252172, 9829047037,9829297468
E-mail – puspendrasharma@rocketmail.com